

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

**NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD**

प्रथम तल, कोर-IV बी/1st Floor, Core - IV B

भारत पर्यावरण केंद्र/India Habitat Centre

लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 / Lodhi Road, New Delhi-110 003

शहरी विकास मंत्रालय/Ministry of Urban Development

दूरभाष/Phone : 24642284, 24642287, फैक्स/Fax : 24642163

Dated: 7.8.2013

No.B-20018/1/2008-09/NCRPB

To,

As per list

**Sub: Revision of Interest Rates on loan assistance given by NCR Planning Board.**

I am directed to inform that the interest rates on loan assistance from NCR Planning Board for various types of projects, have been revised as under:-

Sl No.	Types of Project / Category	Revised interest rates *
1.	Priority Infrastructure Projects viz. Water Supply, Sewerage, Sanitation, Drainage, Solid Waste Management and Roads, ROB's & flyovers.	<b>7.50% p.a.</b> (Incentive of 0.25% by reduction in interest rate for timely payment of loan instalments as per repayment schedule shall be available).
2.	Other Infrastructure Projects.	<b>9.25% p.a.</b> (Incentive of 0.25% by reduction in interest rate for timely payment of loan instalments as per repayment schedule shall be available).


*\*(NCRPB reserves the right to revise the interest rate as and when necessary).*

2. The revised rate of interest shall be applicable for all new loan sanctions by NCRPB as well as for all fresh releases of loan instalments for ongoing infrastructure projects.

3. This issues with the approval of competent authority.

  
(P.K. Jain)

Finance & Accounts Officer



## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

### NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

प्रथम तल, कोर-IV बी/1st Floor, Core - IV B

भारत पर्यावास केन्द्र/India Habitat Centre

लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 / Lodhi Road, New Delhi-110 003

शहरी विकास मंत्रालय/Ministry of Urban Development

दूरभाष/Phone : 24642284, 24642287, फैक्स/Fax : 24642163

दिनांक: 07.8.2013

बी-20018/1/2008-09/एनसीआरपीबी

सेवा में,

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सहायता पर ब्याज दरों में संशोधन।

महोदय,


मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सहायता पर लागू ब्याज दरों में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है:

क्रम संख्या	परियोजना का प्रकार/श्रेणी	संशोधित ब्याज दर
1.	प्राथमिक अवसंरचनात्मक परियोजनाएँ जैसे: जलापूर्ति, सीवरेज, सैनिटेशन, ड्रेनेज, ठॉस कचरा प्रबंधन, सड़के, पुल एवं रेल ओवर ब्रिज	7.50% प्रति वर्ष (चुकोती अनुसूची के अनुसार ऋण किशतों के समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 0.25% की कमी का प्रोत्साहन उपलब्ध होगा)
2.	अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाएँ	9.25% प्रति वर्ष (चुकोती अनुसूची के अनुसार ऋण किशतों के समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 0.25% की कमी का प्रोत्साहन उपलब्ध होगा)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के पास इन ब्याज दरों में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है)

2. उपर्युक्त संशोधित ब्याज दरें सभी नई तथा चल रही परियोजनाओं के लिए जारी की जाने वाली आगामी ऋण किशतों पर लागू होंगी।

3. यह सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

  
(पी.के.जैन)

वित्त एवं लेखा अधिकारी

81c